खंड: 4, अंक:10 अक्टूबर 2021

संश्लेषण

सी जी एस मासिक पत्रिका

धार्मिकता बनाम धर्मांधता: दक्षिण एशिया का परिवर्तनीय स्वरूप

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

दिल्ली विश्वविद्यालय

संपादक

प्रो सुनील कुमार चौधरी

संपादकीय मण्डल

डॉ रमेश भारद्वाज
डॉ संध्या वर्मा
डॉ महेश कौशिक

डॉ अभिषेक नाथ
डॉ आशीष कुमार शुक्ल
राम किशोर

© सीजीएस 2022

रूपांकन: काजल

संश्लेषण

धार्मिकता बनाम धर्मांधताः दक्षिण एशिया का परिवर्तनीय परिप्रेक्ष्य

अनुक्रमिका

संपादकीय

1. धार्मिकता और धर्मांधताः दक्षिण एशिया में शांति और हिंसा के विशेष संदर्भ में
   – अभिषेक नाथ 4–6
2. धार्मिकता बनाम धर्मांधता : दक्षिण एशिया का परिवर्तनीय परिवेश 7–13
   – संजीव कुमार शमा
3. मतांधता और धार्मिक नियमन – निशांत यादव 14–18
4. दक्षिण एशिया के देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास हेतु धर्मांधता से मुक्ति आवश्यक
   – डॉ. अमित अग्रवाल 18–25
5. धार्मिकता बनाम संप्रदायिकता – डॉ महेश कौशिक 26–31

संपादकीय

वर्ष 2018 से हिन्दी प्रकाशन के क्षेत्र में अपनी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के 39वें अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए हमें एक बार पुनः प्रसन्नता एवं हर्ष का अनुभव हो रहा है।

अपनी विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों के माध्यम से वैश्विक अध्ययन केंद्र अब अपने नव परिवर्तनीय रुप में अकादमिक जगत से संबद्ध समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों के साथ एक अटूट संबंध बनाए रखने में पुनः सक्रिय रहेगा। शोधपरक लेखन को नये आयाम पर पहुँचाने हेतु वैश्विक अध्ययन केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय निरन्तर प्रयासरत है। शोध केंद्रित मासिक पत्रिका संश्लेषण के अनवरत प्रकाशन द्वारा केंद्र नवलेखकों एवं शोधकर्ताओं को निरन्तर प्रोत्साहित कर रहा है।

धर्म, मानव जीवन के सभ्यताकाल से ही समाज जीवन की दशा और दिशा को प्रभावित ही नहीं अपितु निर्धारित करता रहा है। सम्पूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को आज भी धर्म और अर्थ ही निर्धारित करते हैं। दक्षिण एशिया के परिवर्तनीय परिप्रेक्ष्य में धर्म, धार्मिकता और धर्मान्धता के अर्थ को समझना महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस परिवर्तन में धर्म ही एक बार पुनः महत्वपूर्ण भूमिका में है।

धर्म की व्याख्या सामान्यतः लोग संकुचित अर्थ में करते हैं जिसके कारण धर्म और सम्प्रदाय के मध्य जो महत्वपूर्ण अंतर हैं वह गौण हो जाते हैं। इसी कारण साम्प्रदायिकता की भावना से प्रेरित होकर अन्य सप्रदायों को तुच्छ समझकर उनके मानवीय अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले लोगों को सामान्यतः धर्मान्ध कहा जाता है। किंतु क्या वास्तव में कोई धर्मान्ध हो सकता है? धर्म के अभाव में मनुष्य के सभ्यतागत विकास को समझना असम्भव है। धार्मिकता एवं धर्मान्धता को लेकर पुनः दर्शनशास्त्रियों से लेकर राजनीति के विद्वानों में बहस छिड़ी हुई है।

अक्टूबर माह के लिए निर्धारित विषय 'धार्मिकता बनाम धर्मान्धताः दक्षिण एशिया का परिवर्तनीय परिप्रेक्ष्य' ने शोधार्थियों एवं लेखकों को शोधपरक लिखने हेतु प्रेरित किया। लेखकों ने विषय से सम्बंधित विभिन्न आयामों पर शोधपरक लेख प्रेषित किये।

परिणामस्वरूप हमें अनेक महत्वपूर्ण लेख इस विषय पर प्राप्त हुए। पाठकों को इन लेखकों के लेख तथा निर्धारित विषय पर ज्ञानवर्धन हेतु पठनीय एवं संग्रहणीय सामग्री उपलब्ध होगी।

संपादक मंडल रविवार, 14 नवंबर 2021

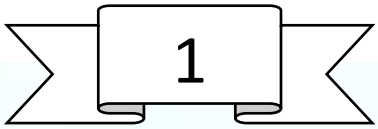

1

धार्मिकता और धर्मांधताः दक्षिण एशिया में शांति और हिंसा के विशेष संदर्भ में

अभिषेक नाथ

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, एम.एल.टी. कॉलेज सहरसा

कलिंग युद्ध में हुए बड़े पैमाने पर हिंसा से विक्षिप्त मौर्य सम्राट अशोक ने शांति के लिए धर्म का मार्ग चुना और एक ऐसे राज्य की स्थापना की, जिसका केंद्र बिंदु बौद्ध धर्म द्वारा प्रचारित शांति थी। आगे चलकर अशोक ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार शांतिपूर्ण तरीके से एशिया महादेश के विभिन्न भागों में किया। दक्षिण भारतीय चोल, पांडया और चेर राज्यों ने अपने पार सामुद्रिक विजयों के द्वारा अपने धर्म को एशिया के अन्य भागों तक पहुंचाया जिससे नए क्षेत्रों में लोगों को हिंदू धर्म से परिचय हुआ। जिसकी छाप आज भी कई पूर्वी एशियाई देशों में देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण यह है कि उपरोक्त दोनों ही उदाहरण में धर्म एक स्थाई और शांतिपूर्ण राज्य की स्थापना में सहायक रहा।

मध्य काल में भारत में मुस्लिम धर्म अफगान, तुर्क और मुगल विजेताओं द्वारा लाया गया जिन्होंने इस्लाम का प्रसार विजित जनसंख्या की स्वेच्छा के बजाय जोर जबरदस्ती द्वारा किया जिसका परिणाम ज्यादातर मुस्लिम सम्राज्यों में अशांति, असंतोष और धार्मिक वैमनस्य का बीजारोपण हुआ। भारत इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यद्यपि अकबर जैसे कुछ अपवाद भी शामिल हैं किंतु यह नोट करने योग्य है कि ऐसे शासकों को अपने राजप्रसाद में ही विरोधों के साथ शासन करना पड़ा। ईसाई धर्म को फैलाने के लिए साम्राज्यवादी ताकतों ने लोभ और कब्जे की नीति का पालन किया और पहले से विद्यमान विभिन्न विषमताओं को और बढ़ाया जिसन बहु–सांस्कृतिक राज्यों में आपसी वैमनस्य, हिंसा और अशांति को बढ़ावा दिया।

यद्यपि यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि कुछ धर्म निश्चित रूप से शांति को और अन्य हिंसा को बढ़ावा देते हैं क्योंकि इतिहास में दोनों ही तरह के उदाहरण मौजूद हैं। लेकिन यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि धर्म का राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनमाना विश्लेषण आपसी वैमनस्य, हिंसा और अशांति को ऐसे सभी राज्यों में बढ़ावा दिया है जहां धर्म की भूमिका राजनीति में महत्वपूर्ण रही है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान इसके उदाहरण है। इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि हम

पश्चिमी विद्वानों के धर्म और राजनीति के पूर्णता विलगाव की वकालत करें बल्कि हमें याद रखना चाहिए कि महात्मा गांधी का कहना था कि जो धर्म और राजनीति को अलग करने की बात कहते हैं वे ना ही धर्म को समझते हैं और ना राजनीति को। अतः धर्म और राजनीति को एक दूसरे का ऐसा सहयोगी बनना होगा जो कि निंदक और मार्गदर्शक दोनों हो। वस्तुतः धर्म व्यक्ति के लिए आस्था का मामला है तर्क का नहीं लेकिन आस्था की कट्टरता व्यक्ति को धर्मांधता की ओर ले जाती है अतः यह आवश्यक है कि जहां तक संभव है व्यक्ति को धार्मिक कट्टरता को तार्किक कसौटी पर रखने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा अपने धार्मिक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक या राजनीतिक नेतृत्व के लिए यह हमेशा ही फायदेमंद है कि धार्मिक आस्था धार्मिक कट्टरता में तब्दील हो राजनीतिक–सामाजिक हिंसा और अशांति विद्यमान रहे ताकि शासक वर्ग जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व से परे रहें। अतः यह आवश्यक है कि धर्म आस्था और तर्क के उचित सामंजस्य पर कसा जाए।

यह सिद्ध हो चुका है कि उदारवादी तार्किकता की अवधारणा और एक पक्षविहीन सार्वजनिक क्षेत्र की संकल्पना ना केवल बहु सांस्कृतिक समाजों की स्थापना में विफल रहा है बल्कि यह धार्मिक कट्टरता को रोकने में भी असफल साबित हुआ है। अतः राज्य की निष्पक्षता प्रभावी रूप से ऐसे राज्यों की स्थापना में विफल रहा है जो सभी संप्रदायों को समान महत्त्व दें और उनक बीच सामाजिक धार्मिक समरसता को भी स्थापित करें।

दक्षिण एशिया के अधिकांश बहुधर्मी देश भारत को छोड़कर जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका धार्मिक कट्टरता के कारण अपने देश में संप्रदायों के बीच हिंसा और आंतरिक अशांति से पीड़ित हैं। इसका समाधान बहुधर्मी राज्यों को एकधर्मी राज्य बनाना नहीं है जिसका प्रयास ज्यादातर राज्य करते हैं। बल्कि यह प्रयास करना है कि राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक नेतृत्व आस्था और तर्क के बीच संतुलन को अपने राज्य में बढ़ावा दें जो समाज के सभी पहलुओं में परिलक्षित होना चाहिए तथा व्यक्ति भी धार्मिकता को इस सीमा तक ना खींचे कि वे धर्मांध होकर व्यवहार करने लगे। भारत में भी कई गुरुओं की अपराधिक मामलों में संलिप्तता के बावजूद सामाजिक और राजनीतिक अनुयायियों की बढ़ती संख्या चिंताजनक बात है।

बावजूद इसके कि दुनिया के एक वैश्विक गांव के रूप में सिमटने और व्यापार, पूंजी और मानव संसाधन के पारराष्ट्रीय गमन ने देशों में बहुराष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया है और पश्चिमी देश जिन्होंने कभी राष्ट्र राज्य की वकालत की बहुराष्ट्रीयता का वर्तमान के लिए प्रसांगिक मानकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जहां बहुराष्ट्रीय जातियों के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। लेकिन वैश्विक स्तर पर धार्मिक कट्टरता के उत्थान जिसमें

विशेषकर इस्लामिक, रूढ़िवादी क्रिश्चियन और बौद्ध धार्मिक कट्टरता ने राज्यों को अंतर्मुखी होने पर विवश किया है और विश्व स्तर पर बहुसंस्कृतिवाद की वकालत क्षीण हुई है।

दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरता, श्रीलंका और म्यांमार में बौद्ध कट्टरता ने धर्म के प्रति एक सकारात्मक सोच और आस्था को काफी ठेस पहुंचाई है। धर्म के आधार पर भारत के विभाजन के बावजूद इस्लामिक और सिख चरमपंथ की भारत में उभार ने भी भारत जैसे धार्मिक सहिष्णुता वाले देश को अंतर्मुखी होने पर मजबूर किया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ऐसे ही कट्टरपंथी उभार का परिणाम है जहां हिंदू धर्मावलंबियों को संपूर्ण दक्षिण एशिया में धर्मान्धता का शिकार होना पड़ा है। यह अधिनियम हिंदुओं को ऐसे राज्यों में धर्मांधता का शिकार होने के कारण भारत में शरण और नागरिकता प्रदान करने का प्रयास करता है। जिसका उदाहरण बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या का 1947 में 18% से कम होकर वर्तमान में 7% रह जाना है। हालांकि एकधर्मी राज्य भी कई संप्रदायों में बंटे हुए हैं जैसे कि मुस्लिम धर्म में शिया, सुन्नी, अहमदियाय सिख धर्म में अनेक डेरा परंपराय महायान और हीनयान बौद्ध धार्मिक संप्रदाय और हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव, प्रकृतिवादी, नास्तिक आदि। राज्य में व्यक्ति और समाज की धर्म की समझ और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व कि धर्म के प्रति दृष्टिकोण ही यह निर्धारित करता है कि समाज में धार्मिकता बढ़ेगी या धर्मांधता का प्रसार होगा।

इस विश्लेषण को प्रस्तुत करने का मंतव्य यह है कि धार्मिक कट्टरता के लिए यह आवश्यक नहीं कि कोई देश बहुधर्मी हो। यह एकधर्मी राज्यों में भी उभर सकता है। अतः महत्वपूर्ण यह है कि आस्था और तर्क के संतुलन पर रखकर धर्म का पालन किया जाए तभी जाकर धर्मांधता के बजाय धार्मिकता प्रभावी होगी और हिंसा और अशांति के ऊपर अहिंसा, सहनशीलता और शांति को मानव धर्म के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। यह जिम्मेदारी व्यक्ति और समाज पर है कि वह आस्था और तर्क के बीच एक संतुलन के आधार पर ऐसे किसी भी धर्मांधता की प्रवृति का समुचित विरोध करें और यह जिम्मेदारी दक्षिण एशिया पर विशेष रूप से है कि वह एक उदाहरण बने क्योंकि जितने धार्मिक विभिन्नता इस क्षेत्र में है विश्व के किसी अन्य भाग मे दृष्टिगोचर नहीं होती है।

♦♦♦♦♦

2

धार्मिकता बनाम धर्मांधता : दक्षिण एशिया का परिवर्तनीय परिवेश

संजीव कुमार शर्मा

सहायक प्राध्यापक, श्यामलाल महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

"मैं धर्म का नहीं, उसमें व्याप्त कुरीतियों का विरोधी हूं ।

राजाराममोहन राय

धर्म क्या है:–

धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ भिन्न –भिन्न क्षेत्र में समाजशास्त्रियों द्वारा अनेक परिभाषाओं में दिया गया है। साधारण शब्दों में धर्म के बहुत से अर्थ हैं जिनमें से कुछ हैं कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्‌गुण, आदि।

धर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है "धारण करने योग्य, सबसे उचित धारणा" अर्थात जिसे सबको धारण करना चाहिए, वही मानव धर्म है। धर्म एक परंपरा के मानने वालों का समूह है। ऐसा माना जाता है कि धर्म मानव को मानव बनाता है।

धार्मिकता का अर्थः–

आमतौर पर धार्मिक रीति–रिवाजों का यथाविधि पालन सच्ची धार्मिकता माना जाता है। विभिन्न पर्व, उत्सव, व्रत, उपवास आदि को विधान पूर्वक मानना और मनाना धार्मिकता की उचित परिभाषा समझी जा सकती है। परंपरावादी दृष्टि से देखें तो यह सही भी है लेकिन यदि हम इसमें कुछ व्यापकता का समावेश करें तो हम इस विषय में एक अंधविश्वास की झलक देख सकते हैं जो मानव हित के लिए विनाशकारी है। धार्मिकता को लेकर मनुष्य की दृष्टि आए दिन परिवर्तित होती रहती है।

धर्मांधता का अर्थः–

धर्मांधता मन की वह अवस्था है जहां हम अपने धर्म में अंधविश्वास रखते हैं तथा अंधश्रद्धा रखते हैं। इसमें हम अपने धर्म का अंधे की तरह अनुकरण करने का भाव रखते हैं। इसमें व्यक्ति हठपूर्वक, युक्तिपूर्वक और असहनशीलता दिखाते हुए अन्य नस्लो, राष्ट्रीयता, लिंग,

सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, विशेष धर्म के व्यक्तियों को नापसंद करते हैं और अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं।

धार्मिकता बनाम धर्मांधताः–

दक्षिण एशिया के सभी देशों की अगर बात करें तो यहां धर्म व अंधविश्वासों का साथ चोली दामन की तरह है। उनके बीच फर्क की लकीर अब बेहद धुंधली सी हो गई है। अंधभक्ति के खिलाफ बोलना भी जोखिम भरा काम है। हमारे देश में तो पढ़े लिखे लोग भी तकदीर संभालने के लिए अंगूठी पहन लेते हैं। शराब के ठेके व बार के उद्घाटन के मौके पर धर्मगुरु बुला लिए जाते हैं और वह अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार पाठ करके दान दक्षिणा लेकर चले जाते हैं।

अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसका कोई उचित कारण नहीं होता है। एक छोटा बच्चा अपने घर परिवार एवं समाज में जिन परम्परा, मान्यताओं को बचपन से देखता एवं सुनता आ रहा होता है वह भी उन्हीं को धारण करता है। यह अंधविश्वास उसके मन मस्तिष्क में इतना गहरा असर छोड़ देता है कि जीवन भर व इन अंधविश्वासों से बाहर नहीं आ पाता। अंधविश्वास ना केवल अशिक्षित एवं निम्न आय वर्ग के लोगों मे देखने को मिलता है बल्कि यह काफी शिक्षित, विद्वान, बौद्धिक, उच्च वर्ग एवं विकसित देशों के लोगों में भी कम या ज्यादा देखने को मिलता ही है। अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो यहां विशेष रूप से हम अंधविश्वास को देख सकते हैं। अंधविश्वास या धर्मांधता शब्द को हम एक ही अर्थ में समझते हैं।

धर्मांधता सच्चाई और वास्तविकता से बहुत दूर होती है। इसमें व्यक्ति अलौकिक शक्तियों में विश्वास करने लगता है तथा अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म समझने लगता है। अन्य धर्मों को निम्न स्तर की भावना से देखता है। दक्षिण एशिया के सभी देशों में शुभ अशुभ और ऐसे ही कई बातों को धर्म के साथ जोड़ा जाता है।

दक्षिण एशिया में विभिन्न धर्मः–

दक्षिण एशिया, एशिया का दक्षिणी क्षेत्र है जिसे भौगोलिक और जातीय संस्कृति दोनों संदर्भों में परिभाषित किया गया है। इस क्षेत्र में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं।

दक्षिण एशिया दुनिया की कई महान धार्मिक परंपराओं का केंद्र है। विशेष रूप से बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म आदि।

बौद्ध धर्मः–

बौद्ध धर्म पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया था। उसके पश्चात इसे आगे बढ़ाने तथा फैलाने का काम काफी लोगों ने किया। बाद की शताब्दियों में बौद्ध धर्म फलता फूलता रहा। पांचवीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया और सातवीं में तिब्बत तक पहुंच गया।

जैन धर्मः–

महावीर "महान नायक" बुद्ध के समकालीन और जैन धर्म के संस्थापक थे। कठोर तप पर जोर देने वाला यह धर्म बौद्ध धर्म से कम लोकप्रिय रहा है और महाद्वीप दक्षिण एशिया से आगे नहीं फैला। यह वर्तमान तक बना हुआ है और सदियों से इसे व्यापारी और बैंकिंग वर्गों का मजबूत समर्थन प्राप्त है। इस प्रकार जैन धर्म की कलात्मक विरासत विशेष रूप से समृद्ध है।

हिंदू धर्मः–

हिंदू धर्म की जड़ें बहुत प्राचीन है लेकिन चौथी शताब्दी ईस्वी में ही अपने परिपक्व रूप को ग्रहण करना शुरू कर दिया था। हिंदू धर्म की सबसे विशिष्ट विशेषताएं देवी देवताओं की पूजा और इन छवियों को रखने के लिए मंदिरों का निर्माण ह। हिंदू धर्म में बहुत से देवी–देवताओं को पूजा जाता है लेकिन उनमें से प्रमुख ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं।

इस्लाम धर्मः–

इस्लाम धर्म दक्षिण एशिया में आठवीं शताब्दी की शुरुआत में महत्वपूर्ण शक्ति बन गया। वर्तमान समय में संपूर्ण एशिया में २.१ अरब लोगों द्वारा पालन किया जाता है। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम देश हैं। इंडोनेशिया पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश में बहुत अधिक संख्या में इस धर्म को मानने वाले हैं।

दक्षिण एशिया में सांप्रदायिक हिंसाः–

दक्षिण एशिया में भारत अपने आकार, जनसंख्या और सकल घरेलू उत्पाद के नजरिए से सबसे बड़ा देश है। इसके अतिरिक्त एक और विशेषता है जो महत्वपूर्ण है, भारत दक्षिण एशिया का अकेला देश है जिसने कभी अपनी पहचान को किसी एक धर्म से नहीं जोड़ा। बौद्ध धर्म श्रीलंका और भूटान का अधिकारिक राष्ट्रीय धर्म है। 2008 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र था तथा बांग्लादेश का जन्म सन 1971 में एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की तरह हुआ था लेकिन 1980 के दशक में संविधान में संशोधन करके इस्लाम को प्राथमिकता दी गई।

दक्षिण एशिया के सभी भागों में अपने अपने धर्म को लेकर अत्यंत श्रद्धा है। सभी धर्म के अभ्यास के नियम भिन्न–भिन्न है। अगर हम दक्षिण एशिया के दो धर्मों को देखे जो सबसे

ज्यादा विवाद का विषय बनता है तो वह है हिंदू तथा इस्लाम धर्म। दक्षिण एशिया में धर्म के विवाद को समझने के लिए भारत का उदाहरण लेते हैंः—

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां धर्मनिरपेक्ष संविधान के बावजूद अक्सर हमारे यहां धार्मिक बहुसंख्यवाद ने अपना आक्रमक चेहरा दिखाया है। 1950 के दशक में आमतौर पर संप्रदायिक सद्भाव बना रहा है जो जबलपुर में एक बड़े दंगे से टूटा। 1960 और 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र की संप्रदायिक हिंसा में कई कई घटनाएं हुई। 1984 में हिंदू भीड़ ने दिल्ली और अन्य उत्तर भारतीय शहरों में सिखों के खिलाफ भारी हिंसा की। 1990 के दशक में इस्लामी कट्टरपंथियों ने कश्मीर घाटी से ज्यादातर हिंदू नागरिकों को वहां से भगा दिया। 2002 में हिंदू—मुस्लिम कट्टरपंथियों ने गुजरात में 1000 से ज्यादा मुसलमानों तथा हिंदुओं की हत्या कर दी और लाखों को बेघर कर दिया। यह स्थिति आसानो से बदलने वाली नहीं है। 1950 के दशक में पश्चिम बंगाल में लगातार पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुओं का पलायन होता रहा।

1963 में श्रीनगर के हजरत बल से एक चोरी के प्रसंग में पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले हुए। फिर भी बांग्लादेश युद्ध के समय कई लाख हिंदू वहीं थे। अपने जन्म के समय बांग्लादेश अपनी धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के प्रति गौरव महसूस करता था लेकिन आजादी के 4 दशकों में उसका लगातार इस्लामीकरण होता चला गया है। हालांकि वह पाकिस्तान जैसा हिंसक नहीं है। श्रीलंका में राजनीतिक संघर्ष का केंद्र धर्म नहीं बल्कि भाषा थी। बौद्ध धर्म को श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म बना दिया गया जिसकी वजह से हिंदू, मुसलमान में असंतोष फैल गया।

भूटान को एक शांत और सुंदर स्थान माना जाता है। 1990 के दशक में भूटान ने अपनी बुद्ध पहचान को मजबूत करने के लिए वहां सदियों से बसे हुए हिंदू परिवारों को नेपाल में धकेल दिया। जब कि यह देश भगवान विष्णु का प्रतिनिधि माना जाता है।

सारे दक्षिण एशियाई देशों में संप्रदायिक हिंसा के मामले में नेपाल की स्थिति सबसे अच्छी रही है। वहां मुसलमानों पर हिंसक हमले हुए हैं लेकिन वहां प्रमुख विवाद आर्थिक, भौगोलिक या सामाजिक रहे हैं धार्मिक नहीं। दक्षिण एशिया के देशों में भाषा और धर्म के नाम पर भेदभाव तथा कुरीतियां मौजूद रहे हैं। और इस विवाद को समाप्त करना मुश्किल ही नहीं कभी—कभी नामुमकिन सा लगता है।

अंधविश्वासध धर्मांधता के खिलाफ संपूर्ण दक्षिण एशिया की लड़ाईः—

संपूर्ण दक्षिण एशिया के देशों में सदियों से धर्म के दुकानदारों को अपनी पोल खुलने का खतरा बराबर बना रहता है। वह यह भी नहीं जानते कि अगर भोली–भाली जनता ने जागरूक होकर अपने दिमाग के दरवाजे खोल दिए तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। धर्म की दुकानदारी करने वाले पंडित पुरोहित यह नहीं देखते कि वह किसी के बुलावे पर कहां और क्या करने जा रहा है। उन्हें सिर्फ अपनी दान दक्षिणा से मतलब होता है। धर्म के दुकानदार सत्य अहिंसा की दुहाई तो देते हैं लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए और अपने मतलब के लिए। इसलिए आए दिन बहुत सी घटनाएं धर्म को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। दुनिया भर में जुल्म और हिंसा की इंतहा हो रही है। धर्म के नाम पर मौत के घाट उतारना नई बात नहीं है। भारत में कई धर्म गुरुओं के केस में कई लोग मारे जाते हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी सामूहिक नरसंहार करते हैं ताकि लोग दहशत में रहे तथा मजहब के नाम पर फैलाए गए उनके झूठ से पर्दा उठाने की हिम्मत ना करें।

आज यदि जरूरत है तो यह कि, हमारे समाज में जो उच्च शिक्षित वर्ग है वह खुद अंधविश्वास में ना पड़कर अल्प शिक्षित वर्गों को इसके बारे में जागरूक करें और उन्हें ऐसे धर्म गुरुओं के बारे में भली–भांति बताएं।

धर्म हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता से जोड़ता हैः–

धर्म हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से जोड़ता है, हमें नैतिक शिक्षा देता है, हमें आत्मविश्वास देता है। धर्म में विश्वास करें अंधविश्वास नहीं अर्थात् धार्मिकता रखना सही है परंतु धर्मांधता नहीं होनी चाहिए।

धर्म हमारी संस्कृति और हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हमारा धर्म हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से जोड़े रखता है। धर्म हमारी संस्कृति और हमारे जीवन का अहम हिस्सा है इसलिए हमारी संस्कृति को सनातन संस्कृति कहा जाता है। हमारा धार्मिक होना अपने अपने धर्मों में विश्वास करना, अपनी–अपनी धार्मिक परंपरा और संस्कृति का पालन करना गलत नहीं है। हमारा धर्म हमें अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता और अपने इतिहास को जोड़ें रखता है। लेकिन धर्म और परंपरा के नाम पर अमानवीय और गैर सांस्कृतिक परंपराओं में विश्वास करना हमारा धर्म नहीं है। हमें धार्मिक होना चाहिए पर अंधश्रद्धा नहीं करनी चाहिए।

कानून के साथ जागरूकता भी जरूरी है। धर्म–कर्म तंत्र परंपराओं तंत्र मंत्र प्रथाओं के नाम पर आखिर कब तक यह अंधविश्वास का अंधेरा छाया रहेगा। समय–समय पर दक्षिण एशिया के सभी देशों ने कानूनों का निर्माण किया है। जो समाज से धर्म के नाम पर अंधभक्ति तथा अंधविश्वास के अंधेरे को हटाने में मददगार साबित हुए हैं। लेकिन हम केवल कानून के आधार पर ही ऐसी प्रथा और परंपराओं को नहीं मिटा सकते। समाज को अपनी सोच, अपने विचारों

में परिवर्तन लाने की जरूरत है। समाज को समझना होगा कि दूसरे धर्म का अनादर करना, हिंसा करना हमारा धर्म नहीं है।

अगर हम संपूर्ण दक्षिण एशिया की बात करें तो यहां के देशों में जो धर्म अभ्यास किए जाते हैं वह कठिन नियम से प्रेरित होते हैं। कई बार तो यह अन्य धर्मों को हीनता की स्थिति से भी देखते हैं। धर्म अभ्यास करते समय जो सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं वह हैं महिलाएं। महिलाएं जल्द ही बहकावे में आ जाती हैं और महिलाएं आति भावनात्मक होने के कारण इन चक्करों में जल्द ही पड़ जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन को जागरूक किया जाए तथा उन्हें सिखाया जाए कि धार्मिकता रखना जरूरी है पर धर्मांधता नहीं।

दक्षिण एशिया के संदर्भ में देखें तो यह प्रश्न उठता है कि धर्म का असल अर्थ यहां की जनता को पता है या नहीं। धर्म के नाम पर राजनीति भी यह सोचने पर मजबूर करती है कि संपूर्ण दक्षिण एशिया में धर्म के नाम पर जो कट्टरवाद, धर्मांधता तथा कुरीतियों के प्रयोग किए जा रहे हैं और लोग भटकाए जा रहे हैं इन सब चीजों ने धर्म का वास्तविक अर्थ ही बदल डाला है।

निष्कर्ष–

इस लेख को लिखते व सोचते समय बहुत सी चीजें समझ आती हैं। धार्मिकता का अर्थ आम तौर पर रीति रिवाज का पालन करना होता है। विधान पूर्वक अपने व्रत व उपवास करना परंतु धर्मांधता का अर्थ अपने संस्कृति धर्म उपासना के प्रति अंधविश्वास रखना तथा दूसरे धर्म के लोगों को हीनता की भावना से देखना है। दक्षिण एशिया के सभी देशों में अनेक धर्म प्रचलित हैं तथा उन सब के नियम अलग–अलग हैं। इन सब धर्मों की अपनी–अपनी विशेषताएं भी हैं।

अपने धर्मों का अभ्यास करने में हम अपने आप को इतिहास से जोड़ते हैं तथा अपनी सभ्यता के परंपरा को निभाते हैं। हमें अपने धर्म से नैतिक शिक्षा मिलती है, आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है तथा हर स्थिति में सकारात्मक रहने की शिक्षा मिलती है। परंतु अपने धर्मों के अभ्यास के दौरान हमें हमेशा याद रखने की जरूरत है कि अन्य धर्म का निरादर ना हो। अपने आपको भी तथा अन्य धर्म के लोगों को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। किसी भी प्रकार की धर्मांधता रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है।

धर्म के नाम पर जो आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं वह धर्म का निरादर है। कोई भी धर्म हिंसा करने की अनुमति नहीं देता। धर्म मानव को मानव बनाता है और अपने कर्तव्य का पालन करना सिखाता है। सभी के साथ न्याय करना, अपने विचारों में सदाचरण रखना सिखाता है। परंतु वर्तमान समय में हम दक्षिण एशिया को देखें विशेषकर भारत–पाकिस्तान को देखें

तो यहां धर्म के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर भेदभाव व दंगो की घटनाएं ज्यादातर दिखती हैं।

वास्तविकता में हम मानव अपने धर्म के रास्ते से भटक गए हैं। धर्म के वास्तविक अर्थ से अनजान हैं। ऐसे में जरूरत है कि हम धर्म के वास्तविक अर्थ को समझें क्योंकि उसके बिना मानव, मानव कहलाने के लायक ही नहीं है। ऐसी स्थिति में मनुष्यों को धर्मांधता तथा अंधविश्वास जैसी चीजों को छोड़कर धर्म को सही मायने में समझते हुए धार्मिकता के पथ पर अग्रसर होना चाहिए।

♦♦♦♦♦

3

मतांधता और धार्मिक नियमन

निशांत यादव

सहायक प्राध्यापक, सत्यवती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगम्बर पर टिप्पणी और उसके पश्चात देशभर में उनके पक्ष और विपक्ष में सोशल मीडिया पर चले ट्रेंड नें लोगों को धार्मिक आचरण के आधार पर दो खेमों में बाँटकर रख दिया। और इस खेमेबंदी का सबसे वीभत्स स्वरूप राजस्थान के उदयपुर जिले में दिखाई दिया जब वहां सिलाई की दुकान चलाने वाले कन्हैया लाल की दो मतांध मुस्लिम व्यक्तियों नें महज इस वजह से चाकू घोपकर नृशंस हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने नूपुर शर्मा की वह टिप्पणी अपने वट्स ऐप पर शेयर कर दी थी। इतना ही नहीं दोनों मतांध हत्यारों नें हत्या के समय 'सर तन से जुदा' का नारा बुलंद किया और बाकायदा इस अमानवीय घटना की विडीयो रिकार्डिंग सोशल मीडिया पर साझा की ताकि आगे से कोई पैगम्बर की शान में गुस्ताफी न कर पाए। नूपुर शर्मा से पहले कुछ इसो तरह की टिप्पणी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव में प्रत्याशी कपिल मिश्रा नें भी। इसके प्रतिउत्तर में ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहाद–उल–मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी के शीर्ष नेता अकबरूद्दीन ओवैसी भी बहुसंख्यक हिंदू समाज के विरुद्ध चुनावी जनसभाओं में आपत्तिजनक टिप्पणी करते दिखाई देते हैं।

ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा नें भारत में शासन संचालन के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अंगीकार किया। जो वस्तुतः जनप्रतिनिधि शासन की अवधारणा पर कार्य करता है। जिस हेतु दलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है जो कुशलता पूर्वक जन प्रतिनिधि के निर्वाचन को संभव बनाते हुए कार्यपालिका के तौर पर सरकार का गठन कर सके। भारतीय संविधान नें जहां राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की कमियों को देखते हुए भारत के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया वहीं नवस्वतंत्र देश की धार्मिक विविधताओं को देखते हुए और इस विविधता की सामाजिक और सांस्कृतिक खूबसूरती को बनाए रखने के उद्देश्य से पंथनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को ग्रहण किया। जो मूलतः भारत की प्राचीन परंपरा वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। परंतु बढ़ती चुनावी प्रतिस्पर्धा में राजनीतिक दलों नें इस पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को धीरे–धीरे सामाजिक दरार के सिद्धांत के तहत बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद में परिवर्तित कर दिया। जिसका परिणाम यह हुआ

की समाज में धार्मिक तौर पर दोनों समुदायों के मध्य मतांधता नें जन्म लेना शुरू कर दिया। और यही धार्मिक मतांधता आज भारतीय लोकतंत्र के विकास को पश्चगामी बनाने में अतिसक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। उपर्युक्त सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ जब अपने उत्कर्ष पर हैं तो हमें पीछे जाकर यह सोचने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि भारतीय राज्य नें धर्म को किस तरह नियमित करने का प्रयास किया था और इस प्रयास में क्या खामियाँ रह गई थीं?

/ार्मिक मतांधता के उपर्युक्त संदर्भों में मधु लिमये बताते हैं कि, वास्तविकता तो यह है कि हमारे संविधान में सांप्रदायिक पार्टियों के लिए कोइ जगह नहीं है। इस विषय पर संविधान सभा का 3 अप्रैल 1949 का प्रस्ताव है जिसे इच्छा–शक्ति के अभाव में लागू नहीं किया गया। प्रस्ताव इस प्रकार है।

"चूँकि लोकतंत्र के सुचारु चालन और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सांप्रदायिकता को राष्ट्रीय जीवन में समाप्त किया जाए, इस सभा का मत है कि किसी सांप्रदायिक संगठन को, जो अपने संविधान के अंतर्गत या अपने पदाधिकारियों या अंगों की शक्तियों के अंतर्गत धर्म, नस्ल और जाति तथा इनमें से किसी एक के आधार पर किसी को सदस्य बनाए या किसी को सदस्यता स वंचित करे, किसी ऐसी गतिविधि में सम्मिलित होने की अनुमति न दी जाए जो उन समुदायों की वास्तविक धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक आवश्यकतों से सम्बन्धित न हो तथा ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सभी आवश्यक वैधानिक तथा प्रशासनिक कदम उठाए जाए।"

पार्थ चटर्जी ने भारत में धर्मनिरपेक्षता की राजनीति के दो विरोधाभासों की पहचान की है। पहला, तथापि भारतीय राजनीतिक नेताओं के एक महत्वपूर्ण वर्ग ने धर्म और राजनीति के क्षेत्रों को अलग करने की इच्छा साझा की, स्वतंत्र भारतीय राज्य के पास विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से खुद के विनियमन, वित्त पोषण और विभिन्न धार्मिक संस्थानों के प्रशासन के कुछ मामलों में सम्मिलित होने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। दूसरा, भले ही भारतीय नागरिकों के वर्गों को उनके अपने निजी कानूनों का पालन करते हुए अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के रूप में कानूनी रूप से सीमांकित किया गया था और उन्हें अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार था परंतु यह निर्धारित करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी कि राज्य के साथ सम्पर्क बनाने में इन अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व कान करेगा।

मधु लिमये लिखते हैं कि, मुझे वृहदारण्यक उपनिषद का याज्ञवल्क्य संवाद अब भी याद है। जिज्ञासा ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, "देवता कितने हैं? ऋषि का उत्तर था, एक फिर प्रश्न किया गया, लेकिन यहाँ तो अग्नि, वायु, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु आदि कई देवता हैं। कुछ किसी एक को पूजा करते हैं कुछ दूसरे की। हमारे लिए सर्वोच्च कौन है? याज्ञवल्क्य का महत्वपूर्ण उत्तर

था, 'ये सब परम, अनश्वर, निराकार ब्रम्हा के रूप हैं।' हिंदू धर्म में सामाजिक बुराइयां जो भी रही हों, विश्वास और आस्था के विषय में सहिष्णु रहा है। डॉ. राधाकृष्णन ने कहा "हिंदू धर्म नें गैर लचीले धर्म के प्रति कट्टर विश्वास पैदा करने की बजाए व्यापक उदारता का दृष्टिकोण अपनाया। उसने अनेक देवों की सत्ता को स्वीकार किया और उन्हें एक ही परम सत्ता का रूप या प्रतीक माना। प्राचीन ऋषियों से लेकर विवेकानंद, अरविंद घोष और महात्मा गाँधी तक सभी हिंदुओं नें यह माना कि सत्य कई रूप धारण करता है और कई भाषाओं में व्यक्त होता है। उसमें अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों को अपवित्र और नष्ट करने की अनुमति नहीं है। किन्तु अब्राहमिक धर्मों के अनुयायियों में इस तरह का कोई परहेज नहीं रहा है। किन्तु यहाँ मैं चेतावनी के तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि, विशाल और जटिल ऐतिहासिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक इयत्ताओं और समग्र सभ्यताओं के संबंध में सामान्यीकृत वक्तव्य कुछ अतिरंजित होते हैं। इन्हें वेदवाक्य की तरह ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उन्हें प्रमुख प्रवृत्तियों या मूल विशेषताओं की अभिव्यक्ति माना जाना चाहिए। हिंदू धर्मों की सहिष्णुता, मुस्लिम समाजों के भाईचारे या पश्चिमी सभ्यता के इतिहास में दिखाई देने वाले समता और स्वतंत्रता के सर्जनात्मक तनाव के सामान्यीकृत वक्तव्यों को इन धर्मों और समाजों की प्रमुख प्रवृति के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मायावी लक्ष्य का पीछा करने में एक बड़ी चुनौती जो दिखाई देती है वह भारत के मामले में विशिष्ट है, अर्थात् सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण तत्व धर्म के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र में राज्य के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बिना किसी सार्थक सामाजिक सुधार की संभावनाओं को अकल्पनीय बना देता है। भारत में कानून का शासन न केवल अधिकारों का वादा है बल्कि इस मामले में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का तात्पर्य अर्थात् इसका अर्थ धर्म को शासनध्कानून के अधीन करना भी है। इस प्रकार भारतीय संदर्भ में कानून (कारण पर आधारित) धर्म (भावना पर आधारित) को नियंत्रित करता है। मधु लिमये लिखते हैं कि, इस देश का विशाल बहुमत हिंदू है और इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत भी इसका कार्य–व्यवहार, मूल्यों, प्रथाओं और सामान्य मिजाज में हिंदू दृष्टिकोण और परंपरा की छाप रहेगी। इस बात पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, अपितु प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार का हिंदू दर्शन, दृष्टिकोण और परंपरा? वह जिसका प्रचार और व्यवहार शिवा जी ने किया या कोई और।

मधु लिमये लिखते हैं कि, मुसलमानों के कट्टरवादी नेता भी खतरनाक लोग हैं। ये लोग और कांग्रेस, जनता दल तथा अन्य पार्टियों को हमेशा नए–नए मुद्दे देते रहेंगें। शांति के समय मुसलमानों में भी मतभेद प्रकट नहीं होते हैं। मतांध लोगों को यह पसंद नहीं होता। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के मतांध देश में शांति स्थापित

नहीं होने देंगे। इस जटिल मुद्दे पर सरकारें जिस संकल्पहीनता का प्रदर्शन करती आयी हैं उसनें बहुत बड़े संकट को जन्म दे दिया है। सबसे भयानक स्थिति यह हो सकती है कि कट्टर मतांध व्यक्ति उत्तर पूर्व के विद्रोहियों और उत्तर–पश्चिम के आतंकवादियों की तरह हथियार उठा लें। पश्चिम एशिया और विघटित सोवियत संघ के देशों में हथियारों का बहुत बड़ा बाजार है। धार्मिक मतांधों के लिए हथियार को चोरी–छिपे भारत में लाना कोई मुश्किल नहीं है। इसका नतीजा क्या होगा? भारत लेबनान बन जाएगा। अतः बहुत बड़े स्तर पर ठोस कार्रवाई करने का यही समय है। मधु लिमये की यह कई दसक पुरानी चिंता आज धरातल पर अपने विकृत स्वरूप में पाँव पसार रही है अतः आवश्यकता है कि दलगत और धर्मगत राजनीति से ऊपर उठते हुए सरकार इन समस्याओं से निष्पक्ष तौर पर लड़े और भारत को सामाजिक बुराइयों से दूर करते हुए एक सफल लोकतंत्रिक देश की तरफ अग्रगामी बनाए।

संदर्भ सूची:

- Chatterjee] Partha- 2004- Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World- New York: Columbia University Press
- कुमार, आनंद. 2022- मधु लिमये, जन्म शताब्दी समारोह स्मारिका. नई दिल्ली, समाजवादी समागम
- गोडबोले, माधव. 2018- /र्मनिरपेक्षता. नई दिल्ली, सेज प्रकाशन
- मिश्रा, अमलेन्दु. 2018- अस्मिता और धर्म. नई दिल्ली, सेज प्रकाशन

♦♦♦♦♦

4

दक्षिण एशिया के देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास हेतु धर्मांधता से मुक्ति आवश्यक

डॉ. अमित अग्रवाल

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), राजकीय महाविद्यालय, रज़ानगर, (रामपुर)

धर्मांधता या धार्मिक असहिष्णुता या धार्मिक कट्टरवाद बल्कि, तब होती है जब एक समूह (जैसे, एक समाज, एक धार्मिक समूह, एक गैर–धार्मिक समूह) विशेष रूप से धार्मिक आधार पर किसी की धार्मिक प्रथाओं, धार्मिक व्यक्तियों या धार्मिक विश्वासों को सहन करने से इनकार करता है। धर्मांधता मन की अवस्था है जिसमें व्यक्ति युक्तिपूर्वक, हठपूर्वक, असहनशीलता दिखाते हुए राष्ट्रीय मूल, सामाजिक आर्थिक स्थिति, अन्य नस्ल, लिंग, यौन अभिविन्यास, विशेषकर धर्म के व्यक्तियों को नापसंद करता हैं। धार्मिक असहिष्णुता से भरे अतीत से पृथ्वी के एक भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा गया है। संवैधानिक प्रावधान अनिवार्य रूप से धार्मिक असहिष्णुता से मुक्त होने की गारंटी नहीं देते हैं, राज्य के सभी तत्व हर समय रहते हैं और अभ्यास एक देश से दूसरे देश में व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं।

दक्षिण एशिया चार प्रमुख विश्व धर्मों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म का मूल है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तरी भाग में महान सिंधु घाटी सभ्यता की ऊंचाई पर दक्षिण एशियाई लोगों की उत्पत्ति का पता 3300 ईसा पूर्व एक प्रारंभिक बसावट से लगाया गया था। इस सभ्यता का अधिकांश क्षेत्र 322 से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य के अधीन था। दक्षिण एशिया में इस्लाम के प्रसार में अरब सेनापति बिन कासिम के पाकिस्तानी क्षेत्र पर विजय और बाद के अन्य आक्रमणों से मदद मिली। 18वीं शताब्दी के बाद से ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत और अफगानिस्तान जैसे राष्ट्रों को अपने कब्जे में ले लिया। दक्षिण एशिया में मुख्य रूप से यूरोप के मिशनरियों का काम ईसाई धर्म की शुरूआत व प्रसार करना था जबकि इस्लाम धर्म की शुरूआत अरब विजय के माध्यम से हो गई थी।

हिमालय के दक्षिण में स्थित 8 देशों के लिए दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीप, भूटान और अफगानिस्तान इन देशों में सम्मिलित हैं। दक्षिण एशिया के देशों का एक संगठन दक्षेस भी है। इस क्षेत्र की जनसंख्या (2020) लगभग 185 करोड़ है। क्षेत्र में मुख्य रूप से हिंदी, उर्दू, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, सिंहली, पश्तो, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, अंग्रेजी आदि भाषा बोली जाती हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म आदि को मानने वाले नागरिक

निवास करते हैं। विशाल जनसंख्या वाले इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय व्यापार सदस्यों के मध्य सुदृढ़ नहीं है, जिसके कारण अनेक हो सकते हैं, किंतु मुख्य कारण धर्मांधता है। विभिन्न देशों के मध्य अच्छे संबंध ना होने के कारण यहाँ के नागरिक उच्च स्तर का जीवन स्तर प्राप्त करने में एक दूसरे का सहयोग करने में असमर्थ रहे हैं।

दक्षिण एशिया के देशों की धार्मिक संरचना

सारणी – 1

देश	धार्मिक जनसांख्यिकी
अफगानिस्तान	इस्लाम (99 प्रतिशत), हिंदू धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म (1 प्रतिशत)
बांग्लादेश	इस्लाम (90 प्रतिशत), हिंदू धर्म (9 प्रतिशत), बौद्ध धर्म (0.6 प्रतिशत), ईसाई धर्म (0.3 प्रतिशत),
भूटान	बौद्ध धर्म (75 प्रतिशत), हिंदू धर्म (25 प्रतिशत)
भारत	हिंदू धर्म (79.5 प्रतिशत), इस्लाम (14.5 प्रतिशत), ईसाई धर्म (2.3 प्रतिशत), सिख धर्म (1.7 प्रतिशत), बौद्ध धर्म (0.7 प्रतिशत), जैन धर्म (0.4 प्रतिशत), अन्य (0.9 प्रतिशत)
मालदीव	सुन्नी इस्लाम (100 प्रतिशत) (मालदीव का नागरिक होने के लिए एक सुन्नी मुस्लिम होना चाहिए
न्पाल	हिंदू धर्म (82 प्रतिशत), बौद्ध धर्म (9.0 प्रतिशत), इस्लाम (4.4 प्रतिशत), किरात (3.1 प्रतिशत), ईसाई (1.4 प्रतिशत), अन्य (0.8 प्रतिशत)
पाकिस्तान	इस्लाम (96.28 प्रतिशत), हिंदू धर्म (2 प्रतिशत), ईसाई धर्म (1.59 प्रतिशत), अहमदिया (0.22 प्रतिशत)
श्रीलंका	बौद्ध धर्म (70.19 प्रतिशत), हिंदू धर्म (12.61 प्रतिशत), इस्लाम (9.71 प्रतिशत), ईसाई धर्म (7.45 प्रतिशत)

स्रोतः विश्व बैंक

हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म आदि को मानने वाले नागरिक अंतरराष्ट्रीय बाजार के विस्तार में सहायक होते हैं। हर धर्म की संस्कृति और परंपरा भिन्न–भिन्न होती है, जिसके कारण उत्पाद में भिन्नता आती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार का विस्तार होता है। इन राष्ट्रों में धर्मांधता के कारण बाजार विस्तार का लाभ इस क्षेत्र में निवास कर रहे नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है। राजनीतिक दल के नेता और धार्मिक नेता नागरिकों को धर्मांधता के आधार पर गुमराह करते हैं आर नागरिकों को उनके अधिकार स वंचित रखते हैं।

दक्षिणी एशिया के देश देश की जनसंख्या (2020)

सारणी – 2

देश	जनसंख्या	जनसंख्या	जनसंख्या
भारत	1,380,004,385	नेपाल	29,136,808
पाकिस्तान	220,892,340	श्रीलंका	21,413,249
बांग्लादेश	164,689,383	भूटान	771,608
अफगानिस्तान	38,928,346	मालदीव	540,544

स्रोतः विश्व बैंक

सारणी – 2 से स्पष्ट होता है कि दक्षिण एशिया में भारत सर्वाधिक आबादी वाला देश है। भारत की जनसंख्या पाकिस्तान से 6.3 गुना, बांग्लादेश 8.4 से गुना, अफगानिस्तान से 35.47 गुना, नेपाल से 47.58 गुना श्रीलंका से 64.48 गुना भूटान से 1788.47 गुना मालदीप से 2553 गुना है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्क देशों के साथ भारत का निर्यात – आयात

सारणी – 3 (अमेरिकी डॉलर में मिलियन)

देश	2017–2018			2018–2019			2019–2020		
	निर्यात व्यापार	आयात व्यापार	व्यापार का संतुलन	निर्यात व्यापार	आयात व्यापार	व्यापार का संतुलन	निर्यात व्यापार	आयात व्यापार	व्यापार का संतुलन
अफगानिस्तान	709.75	433.78	275.97	715.44	435.44	280.00	997.58	529.84	467.74
बांग्लादेश	8614.52	685.65	7928.87	9210.32	1044.80	8165.52	8200.85	1264.74	6936.11
भूटान	546.12	377.99	168.13	657.33	370.96	286.37	738.60	405.73	332.87
मालदीव	217.00	5.68	211.33	223.02	20.41	202.61	226.57	6.00	220.58
नेपाल	6612.96	438.38	6174.57	7766.20	508.14	7258.06	7160.35	711.61	6448.74
पाकिस्तान	1924.31	488.56	1435.75	2066.63	494.87	1571.76	816.64	13.97	802.67
श्रीलंका	4476.46	772.63	3703.83	4710.21	1488.67	3221.54	3800.91	903.69	2897.22
कुल दक्षिण एशिया	23101.11	3202.66	19898.45	25349.15	4363.29	20985.86	21941.51	3835.58	18105.93

स्रोतः वाणिज्य विभाग

सारणी – 3 में दक्षिण एशिया के देशों मध्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को दर्शाया गया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से यह एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति आयात और निर्यात द्वारा करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की माँग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय

व्यापार महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया के मध्य व्यापार संरचना को निम्न विवरण द्वारा समझा जा सकता हैः अफगानिस्तान के उत्पादकों का दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा बाजार भारत है। अफगानिस्तान भारत के लिए किशमिश, अखरोट, बादाम, अंजीर, पाइन नट, पिस्ता, सूखी खूबानी, खुबानी और चेरी फल का निर्यात भारत के लिए करता है। वहीं भारत अफगानिस्तान को ताजे फल जैसे अनार, सेब, चेरी, खरबूजा, तरबूजा, औषधीयाँ, जड़ी बूटियाँ और मसाले जैसे हींग, जीरा, चाय और कॉफी, कपास काली मिर्च और केसर का निर्यात आयात करता है। इसके अलावा भारत की ओर से अफगानिस्तान में हजारों करोड़ की परियोजनाओं में निवेश किया गया है. इनमें से कई परियोजनाओं पर अभी काम जारी है। अफगानिस्तान पर एक बार फिर से तालिबानियों ने कब्जा जमा लिया है। भारत को कई मोर्चे पर सतर्क रहना पड़ेगा। मौजूदा वक्त को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच आयात–निर्यात पर भी काफी असर पड़ सकता है। वहाँ मौजूदा हालत के कारण दोनों देशों के बीच सामरिक के अलावे व्यापारिक रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है।

पाकिस्तान भारत को तैयार चमड़ा, प्रसंस्कृत खाद्य, अकार्बनिक रसायन, ताजे फल, सीमेंट, खनिज और अयस्क, कच्चा कपास, मसाले, ऊन, रबड़ उत्पाद, अल्कोहल पेय, चिकित्सा उपकरण, समुद्री सामान, प्लास्टिक, डाई आर खेल का सामान निर्यात करता है, जबकि भारत से निर्यात किए जाने वाले जिंसों में जैविक रसायन, कपास, प्लास्टिक उत्पाद, अनाज, चीनी, कॉफी, चाय, लौह और स्टील के सामान, दवा और तांबा आदि शामिल हैं। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू–कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर देने से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार तो रोक दिया।

एक्सपोर्ट वेबसाइट के अनुसार, नेपाल से वर्ष 2017 में जो 92.6 फीसदी उत्पाद निर्यात किए गए, उसमें भारत को 56.7 प्रतिशत, अमेरिका 11.2 प्रतिशत, तुर्की 06.4 प्रतिशत, जर्मनी 3.9 प्रतिशत, ब्रिटेन 3.4 प्रतिशत, चीन 03 प्रतिशत सामान भेजे गए। भारत से नेपाल में तेल का व्यापार उसका करीब 28 प्रतिशत हिस्सा है। भारत से नेपाल पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा मोटर, कार, अन्य वाहन और स्पेयर पार्ट्स (7.8 प्रतिशत), इस्पात (07 प्रतिशत), दवाएँ (3.7 प्रतिशत), मशीनरी और अन्य जुड़े हुए सामान (3.4 पतिशत), बिजली उपकरण (2.7 प्रतिशत) शामिल हैं। नेपाल से भारत मुख्य तौर पर जो सामान आते हैं, उसमें जूट उत्पाद (9. 2 प्रतिशत), जिंक स्टील (8.9 प्रतिशत), टैक्सटाइल्स (8.6 प्रतिशत), धागे (7.7 प्रतिशत), पॉलिएस्टर यार्न (6 प्रतिशत), जूस (5.4 प्रतिशत), इलायची, वायर, टूथपेस्ट, पाइप आदि शामिल हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था में भारत को भूमिका हमेशा से खास रही है। पिछले दो दशकों में भारत की कई कंपनियों ने वहां बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किये हैं।

भारत की ओर से भूटान निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में खनिज, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, बिजलो उपकरण और प्लास्टिक शामिल है। वहीं भूटान, भारत को बिजली, फेरो–सिलिकॉन, पोर्टलैंड सीमेंट आर डोलोमाइट का निर्यात करता है।

श्रीलंका को निर्यात किए जाने वाले शीर्ष उत्पाद खनिज ईंधन, तेल, आसवन उत्पाद, आदि, जहाज, नाव और अन्य अस्थायी संरचनाएं, फार्मास्युटिकल उत्पाद, लोहा और इस्पात, बुना हुआ या क्रोकेटेड कपड़े हैं।

दक्षिण एशिया में जनसंख्या की धार्मिक संरचना इस प्रकार की है कि किसी भी धर्म को उपेक्षित कर राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति में वृद्धि नहीं कर सकता। किसी भी राष्ट्र यदि विकास पथ पर अग्रसर होना है तो उसे वैश्वीकरण के युग में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना होगा। यातायात और संचार के साधनों ने संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक गांव में बदल दिया है। कारखाने आधुनिक समृद्धि के साधन बन गए हैं। कुशल श्रम शक्ति के आवागमन और पूँजी निवेश के बिना राष्ट्र विकास की संकल्पना पूरी नहीं हो सकती। एक देश के प्राकृतिक संसाधनों में कमी को अन्य देश पूरा करते हैं। आधुनिकता नवाचार उद्यमशीलता कौशल विकास और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु धर्मांधता को छोड़ना होगा।

आर्थिक तौर पर आगे बढ़ने की दुनिया की प्रतिस्पर्धा के बीच दक्षिण एशिया के देश धर्मांधता, अपने ही नागरिकों से नफरत ओर युद्धोन्माद वाली बोली की होड़ में उलझे हुए हैं। दक्षिण एशिया में अमेरिका समर्थित अफगानिस्तान लोकतंत्र दम तोड़ चुका है और सत्ता मध्ययुगीन बर्बरता के हिमायितों के पास है। दुनिया के जब आँकड़ों में जब बांग्लादेश आर्थिक प्रगति की झलक दिखने लगी उसी दौर में बांग्लादेश में दुर्गापूजा के समय जो कुछ हुआ उससे जाहिर होता है कि वहाँ भी धर्मांधता तेजी से मजबूत हो रही हैं। पाकिस्तान वहाँ के अल्पसंख्यक और नागरिक आजादो समूहों को धर्मांधता की कीमत चुकानी पड़ रही है। एक सच्चे लोकतंत्र और नागरिक आजादी के लिए लड़ने के बजाय अपने कट्टरपंथियों को ही सहलाने में पाकिस्तान उलझा हुआ है। राजशाही के खिलाफ क्रांति के बावजूद नेपाल है कि आधुनिक बनना ही नहीं चाहता है। भारत का हाल भी इससे तो बेहतर नहीं ही है। क्रिकेट टी–20 विश्वकप के एक मैच में हार जाने का पूरा दोष एक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाड़ी को दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पर ऐसे गद्दार कहा जा रहा है। क्या पाकिस्तान से हुई हार के लिए 11 की टीम मं कवल मोहम्मद शमी ही जिम्मेदार है?

आज वैश्वीकरण के युग में में किसी भी देश की छवि का बहुत महत्त्व है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की सहिष्णुता बनाए रखने की गुजारिश एवं मूडीज द्वारा भारत में बढ़ती असहिष्णुता पर चिंता व्यक्त की। असहिष्णुता केवल समाज के ताने–बाने को ही छिन्न–भिन्न नहीं करती है, बल्कि इसका राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय वित्त एवं व्यापार व्यवस्था,

अर्थव्यवस्था का विकास, निवेशकों की पूँजी सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह छवि ही अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को उनकी पूंजी के सुरक्षित होने को लेकर आश्वस्त करती है। बढ़ती असहिष्णुता राष्ट्र के अंदर चल रहे राजनीतिक विमर्श में भी भटकाव पैदा करती है। दीर्घकाल में राष्ट्र की विकास यात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

दक्षिण एशिया गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और पिछड़ेपन के आधार पर दुनिया के बदतरीन क्षेत्र में शुमार होता है जिसे धार्मिक कट्टरवाद उसे अधिक मुश्किलों में धकेल रहा है। खाड़ी के देशों का उदाहरण सबके सामने हैं, जिस देश ने धार्मिक उदारता दिखाई विकसित श्रेणी के देशों में खड़ा हो गया जैसे ओमान, बहरीन, क़ुवैत, यूएसई, कतर इत्यादि सभी मुस्लिम देश हैं परन्तु अपनी उदारता के कारण सर्वसाधन सम्पन्न हो गये परन्तु अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सउदी अरब, ईरान, ईराक अपनी कट्टरता को न छोड़ पाने के कारण आज भी विकसित नहीं हैं जबकि ईरान, इराक, सउदी अरब के पास अकूत तेल सम्पदा है। अफगानिस्तान के पास प्राकृतिक सम्पदा की कोई कमी नहीं है परन्तु कट्टरता के कारण अशांत क्षेत्र है और अविकसित है। कोई भी देश अपनी शर्तों पर दूसरे देश से स्वछन्द व्यवहार नहीं कर सकता। आज विश्व में विकसित देशों के अनेक उदाहरण मौजूद हैं, जो 'सर्वधर्म सम्भाव' का उदाहरण बनकर विकसित हुए हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन अन्य यूरोपीय देश सभी निष्पक्ष न्याय एवं व्यवहार में विश्वास करते हैं। स्वयं ईसाई होते हुए भी सभी अन्य धर्मानुयायी वहाँ निवास करते हैं जिन्होंने वहाँ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अमेरिका मं अनेक उच्च श्रेणी के वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, राजनीतिज्ञ भारतीय मूल के हिन्दू या मुसलमान हैं। आओ "वसुधैव–कुटुम्बकम" की भावना को विकसित करें..

संदर्भ सूचीः

- ''धार्मिक घृणा को प्रतिबंधित करने के लिए नया प्रयास'', बीबीसी समाचार, 11 जून 2005 25 मई 2007 को पुनः प्राप्त असहिष्णु होता भारतीय समाज
- गर्थ ब्लेक, ''एक बहुधर्म समाज में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देनाः ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में धार्मिक अपमान कानून।'' ऑस्ट्रेलियन लॉ जर्नल , 81 (2007): 386–405।
- चोपड़ा, आरएम, ''धर्मों का एक अध्ययन'', अनुराधा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015 आईएसबीएन 978–93–82339–94–6
- https://www-worldometer info/world&population/soutern&asia&population/

♦♦♦♦♦

5

धार्मिकता बनाम साम्प्रदायिकता

डॉ महेश कौशिक

प्रवक्ता, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार

प्राचीन काल से ही धर्म, मनुष्य और उसके क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। हिंदी भाषा का शब्द धर्म एक ऐसा शब्द है जिसका किसी अन्य भाषा में उपयुक्त पर्यायवाची नहीं मिलता है। सामान्यतया अंग्रेजी भाषा के शब्द रिलीजन या संप्रदाय या पंथ या मजहब को धर्म के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है किंतु इनमें से कोई भी शब्द धर्म का पर्यायवाची नहीं हो सकता है। सनातन धर्म में जो चार पुरुषार्थ मनुष्य के लिए निर्धारित किए गए हैं वह हैं दृ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यद्यपि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को निर्धारित किया गया है किंतु यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति धर्म को समझकर धर्म मार्ग का अनुसरण करके अपना जीवन व्यतीत ना करें।

धर्म और धार्मिकता

धर्म शब्द इन सब शब्दों से इसलिए भिन्न है क्योंकि पंथ, संप्रदाय, मजहब आदि में कुछ बातें सभी में समान रूप से देखने को मिलती हैं। जैसे इन सभी को आरंभ करने वाला कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है, इन सब में कोई एक विशेष पूजा पद्धति होती है जिसका अनुपालन करना उस पंथ, मजहब या संप्रदाय को मानने वाले लोगों के लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार इन सब में कोई ना कोई एक पवित्र पुस्तक मानी जाती है जिसमें उस पंथ मजहब या संप्रदाय को मानने वाले लोगों के लिए दिशानिर्देश होते हैं किंतु यह सभी बातें धर्म पर लागू नहीं होतो है क्योंकि धर्म शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत से आया है अर्थात यह तत्सम शब्द है। धर्म शब्द की उत्पत्ति श्धश धातु से हुई है जिसका अर्थ है धारण और पोषण करने वाला अर्थात किसी भी वस्तु का वह गुण जो धारण करने योग्य है जिससे उसका पोषण होता है जिससे उसकी वास्तविक पहचान है। यदि उस गुण को, उस विशेषता को से अलग कर दिया जाए तो उस वस्तु की पहचान ही समाप्त हो जाती है। उदाहरण के रूप में सूर्य की प्रकृति, उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण ऊष्मा प्रदान करना और प्रकाश देना है। सूर्य, सूर्य है क्योंकि ऊष्मा और प्रकाश देता है। ऊष्मा और प्रकाश को सूर्य से पृथक कर दिया जाए तो सूर्य की कोई पहचान नहीं रहेगी, सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा जिसका गुण

प्रकाश और शीतलता है वही उसके लिए धारण करने योग्य है। यदि चंद्रमा के प्रकाश को शीतलता को पृथक कर दिया जाए तो चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं रहता उसकी कोई पहचान नहीं रहती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के लिए उसका धर्म मनुष्यता है और मनुष्यता के लक्षण या गुण निर्धारित किए गए हैं कर दिया जाएगा तो मनुष्य का भी अस्तित्व कोई पहचान नहीं रहती। मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता है।

यतो अभ्युदयनिश्रेयस सिद्धिः स धर्म।श (जिस कार्य के करने से अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है उसे ही धर्म माना गया है।)

मनु ने मानव धर्म के दस लक्षण बताये हैंरू

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो, दशकं धर्मलक्षणम् ॥

अर्थात (धृति (धैर्य), क्षमा (दूसरों के द्वारा किये गये अपराध को माफ कर देना, क्षमाशील होना), दम (अपनी वासनाओं पर नियन्त्रण करना), अस्तेय (चोरी न करना), शौच (अन्तरंग और बाह्य शुचिता), इन्द्रिय निग्रहः (इन्द्रियों को वश मे रखना), धी (बुद्धिमत्ता का प्रयोग), विद्या (अधिक से अधिक ज्ञान की पिपासा), सत्य (मन वचन कर्म से सत्य का पालन) और अक्रोध (क्रोध न करना)।महाभारत में महात्मा विदुर ने धर्म क्र आठ अंग बताये हैं –इज्या (यज्ञ–याग, पूजा आदि), अध्ययन, दान, तप, सत्य, दया, क्षमा और अलोभ। पद्मपुराण में धर्म के लक्षणों के बारे में कहा गया है दृ

ब्रह्मचर्येण सत्येन तपसा च प्रवर्तते।

दानेन नियमेनापि क्षमा शौचेन वल्लभ।।

अहिंसया सुशांत्या च अस्तेयेनापि वर्तते।

एतैर्दशभिरगैस्तु धर्ममेव सुसूचयेत।।

(अर्थात ब्रह्मचर्य, सत्य, तप, दान, संयम, क्षमा, शौच, अहिंसा, शांति और अस्तेय इन दस अंगों से युक्त होने पर ही धर्म की वृद्धि होती है।)

इसी प्रकार अन्य भारतीय धर्म शास्त्रों में धर्म के लक्षणों का उल्लेख मिलता है। कहीं भी धर्म के लक्षणों में किसी पूजा पद्धति का या किसी विशेष ग्रन्थ का या किसी इष्टदेव का उल्लेख नहीं मिलता। कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं है की यदि आप उस पर विश्वास नहीं रखते तो आप धार्मिक नहीं रहेंगे। ठीक इसी प्रकार किसी भी देवता को इस रूप मैं नहीं रखा गया है की

यदि आप उस देवता विशेष को नहीं मानते तो आप धार्मिक नहीं रहेंगे। किसी पूजा पद्धति विशेष न मानने पर भी आप धार्मिक हो सकते हैं यदि आप में धर्म के लक्षण हैं जो मनुष्य के लिए निर्धारित किये गए हैं। ृआत्मबुद्धिनिबंधनभाव ही धर्म का अप्राकृत तत्त्वात्मक स्वरूप है, और यही संस्कृति है। अतएव धर्म तथा संस्कृति अभिन्न तत्व है जिसका स्थूल भौतिक आचार से कोई संबंध नहीं है और यही इसकी शाश्वतता हृै। (धर्मशास्त्र का बृहद इतिहास , पृष्ठ संख्या 36)

पुराणों में इसे कहानियों के माध्यम से भी समझाया गया है। धर्म का मानवीकरण करते हुए इसकी सरल करते हुए धर्म को ब्रह्मा का मानस पुत्र बताया गया है। धर्म का विवाह दक्ष की 13 पुत्रियों से बतलाया गया है, जिनके नाम हैं– श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति। श्रद्धा से नर और काम का जन्म हुआ य तुष्टि से सन्तोष और क्रिया का जन्म हुआ य क्रिया से दण्ड, नय और विनय का जन्म हुआ। इसी प्रकार अहिंसा को धर्म की पत्नी कहा गया है। इसे सहज ही समझा जा सकता है कि धर्म का संबंध उससे संबंधित सभी मानवीय गुणों से जोड़ा गया है। यहाँ फिर से यह बात स्पष्ट होती कि कहीं भी धर्म का संबंध पूजा पद्धति से या किसी मनुष्य विशेष की आराधना से नहीं जोड़ा गया है।

सम्प्रदाय से साम्प्रदायिकता तक

सभी सम्प्रदाय धर्म की बात से आरम्भ होते हैं किन्तु अपने सम्प्रदाय को श्रेष्ठ मानने, उसके विस्तार के लिए लालच, हिंसा आदि का सहारा लेना तथा अन्य सम्प्रदाय के लोगों को निम्न मानना जैसे कार्य सम्प्रदाय विशेष के लोगों को कब सांप्रदायिक बना देत हैं इसका ज्ञान उस सम्प्रदाय को मानने वाले लोगों को भी नहीं हो पाता। साम्प्रदायिकता की संकीर्ण मानसिकता के साथ मनुष्य अपने वास्तविक धर्म अर्थात मनुष्यता से ही दूर होता जाता है और एक सम्प्रदाय विशेष के लोगों और विचारों का अंधभक्त बन जाता है जिसे कुछ लोग धर्मान्धता भी कहते हैं। किन्तु ऐसी प्रवृत्ति वास्तव में साम्प्रदायिकता है धर्मान्धता नहीं। क्योंकि धर्म ज्ञान का वह प्रकाश है जो मनुष्य को श्रेष्ठ दृष्टि देकर इस योग्य बनाता है की वह करनीय और अकरनीय कार्यों में स्पष्ट अंतर कर सके। इसलिए प्रथम तथ्य यह है कि धर्म और सम्प्रदाय कभी भी एक – दूसरे के पर्याय नहीं हो सकते। दूसरा, कोई धार्मिक व्यक्ति कभी कट्टर या धर्मांध नहीं हो सकता। धार्मिक व्यक्ति को धर्मांध कहना ऐसे ही है जैसे यह कहना कि अधिक अच्छा होना भी बुरा होता है। धर्म के पालन में कोई अँधा हो ही नहीं सकता। जब जब व्यक्ति किसी संप्रदाय विशेष के प्रभाव में आकर उस सम्प्रदाय के विस्तार को ही अपना लक्ष्य बनाकर धर्म के मार्ग से भटकता है तभी वह साम्प्रदायिक होने की ओर अग्रसर होता है। ऐसे व्यक्ति को सांप्रदायिक

कहना उचित है, धर्मांध नहीं। साम्प्रदायिकता की इसी भावना के कारण मनुष्यां के बीच वैमनस्य बढ़ता है, विभिन्न सम्प्रदायों के बीच वैर बढ़ता है जो अंततः साम्प्रदयिक तनाव का रूप लेता है और सांप्रदायिक दंगों और हिंसा को जन्म देता है।

दक्षिण एशिया में बढ़ता सांप्रदायिक तनाव

साम्प्रदायिकता या धर्मान्धता को दक्षिण एशिया में घटी कुछ घटनाआं से समझा जा सकता है। बांग्लादेश जहाँ इस अफवाह के फैलने से कि दुर्गा पूजा में कुरान का अपमान किया गया है, हिन्दुओं के ऊपर तथा मंदिरों पर हमले किये गए। अनेक हिन्दुओं के घर जला दिए गए तथा दस हिन्दुओं की हत्या कर दी गई। यह केवल आज की बात नहीं है बांग्लादेश के बनने से लेकर आज तक इसी प्रकार की स्थिति रही है। इसी का परिणाम है कि वहां हिन्दुओं की आबादी लगातार घटती गई है। ऐसा केवल बांग्लादेश में ही नहीं है, पाकिस्तान में भी इसी प्रकार हिंदुओं और सिखों पर वहाँ की बहुसंख्यक आबादी द्वारा अत्याचार किये जाते रहे हैं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ सिखों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक थी तथा लाहौर , रावलपिंडी एवं फैसलाबाद जैसे शहरों में सिखों की आबादी महत्वपूर्ण थी। एक एन जी ओ सिख रिसोर्स सेंटर के अनुसार अब पकिस्तान में सिखों की आबादी घटाकर केवल पचास हजार रह गई है। नाबालिग हिन्दू लड़कियों का अपहरण, बलात्कार, मत परिवर्तन इस बात को पुष्ट करता है कि जब लोग धर्मांध होकर सांप्रदायिक हो जाते हैं तो अन्य मत, सम्प्रदाय या विचार को मानने वाले लोगों पर किस प्रकार के अत्याचार करते हैं।अफगानिस्तान में इस्लाम के आने से पहले वहाँ बहुसम्प्रदायवाद था। वहाँ हिन्दू और बौद्ध मत मानने वालों की जनसंख्या बहुत अधिक थी। 11 वीं सदी में इस्लाम के आगमन के साथ ही मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों में परिवर्तित किया जाने लगा। बौद्ध मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा जाने लगा। यह लगातार चलता रहा और हिन्दुओं और बौद्धों को मारा गया, उनका पलायन हुआ तथा मतांतरण हुआ। यही स्थिति वर्तमान समय में भी बानी हुई है। एक अनुमान के अनुसार 1990 से पहले वहॉ सिखों की आबादी पचास हजार से अधिक थी किन्तु 1992 में गृहयुद्ध की शुरुआत के साथ हो सिखों ने वहां से पलायन शुरू कर दिया जिसके परिणामस्वरूप वहाँ उनकी आबादी बहुत कम हो गई है।

केवल दक्षिण एशिया में ही नहीं ऐसी प्रवृत्ति पूरे विश्व में सभी संप्रदायों के अंतर्गत देखने को मिलती है जिनमें लोग धर्म मार्ग से भटक गए हैं। इसी लिए विश्व में विभिन्न मतों को मानने वालो लोगो के बीच अशांति है, वैमनस्य है, हिंसा है। धर्म तो सभी के बीच प्रेम और सदभाव की बात करता है, धर्म तो मनुष्य का मनुष्य से ही नहीं अपितु मनुष्य का प्रकृति के कण कण से संबंध जोड़ता है उससे प्रेम करना सिखाता है। जब आप धार्मिक होते हैं तो प्रकृति और

पुरुष एक दुसरे के स्वयं ही पूरक हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब धार्मिक होता है तो वह धर्मान्ध हो ही नहीं सकता क्योंकि धर्म तो व्यक्ति को दृष्टि देता है। दृष्टि की अति नहीं हो सकती। जिसे धर्मान्ध कहा जाता है वह वास्तव में साम्प्रदायिकता है जिसमें व्यक्ति अपने सम्प्रदाय को ही श्रेष्ठ मानकर उसके विस्तार के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है। इसमें वह मनुष्यता की सभी सीमाएँ भी लांघ जाता है। साम्प्रदायिकता का त्याग धर्म के वास्तविक ज्ञान द्वारा ही सम्भव है।

संदर्भ–सूची

धर्मशास्त्र का बृहद इतिहासृ – डॉ दिलीप कुमार नाथाणी

https://www-drishtiias-com/hindi/to&the&points/paper1/communalism

kathavachaksudhirvyasji/posts/1643627085876731

https://www-aajtak-in/india/news/story/vhp&protest&bangladesh&high&commission&against&attacks&on&hindus&in&bangladesh&ntc&1344309&2021&10&20

https://www-punjabkesari-in/blogs/news/sikhs&on&the&verge&of&eÛtinction&in&pakistan&1378278

♦♦♦♦♦

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

अकादमिक अनुसंधान केंद्र भवन

गुरु तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली– 110007

www.cgs.du.ac.in @cgsofficialdu office@cgs.du.ac.in +91-11-27666281